न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 28/2015 (2015/00065)

1. सीताराम पुत्र नारायण
2. पांचू पुत्र गुल्ला
   समस्त जाति कहार, निवासीगण नदी–सराधना तहसील एवं जिला–अजमेर।
   .....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1. श्रीमती मांगी धर्मपत्नि सुरजकरण
2. मोहनी पत्नी गुलाब पुत्र सुरजकरण
3. रूकमा पत्नी हरीराम पुर सुरजकरण
4. सन्तोष पत्नी शिवजी
5. भुरी पत्नी कालू
6. सुगम पुत्र सुख्खा
7. लाडी पुत्री सुख्खा
   समस्त जाति कहार निवासीगण–ग्राम नदी–सराधना, तहसील व जिला–अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर जिला–अजमेर। ..... **रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मौहम्मद इकबाल — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री अशोक अग्रवाल — अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स
3. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक :– 19.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नदी–सराधना तहसील व जिला–अजमेर स्थित आराजी जिसके पुराने खसरा 535 रकबा 15–00–00 बीघा किस्म बारानी–3 का आवंटन दिनांक 18.6.1963 को सुखा वल्द रामा कहार साकिन नदी–सराधना को किया गया था। खसरा नं0 535 के नये नम्बर 728 रकबा 14–01–00 बीघा (काबिल काश्त भूमि) कायम किये गये। आवंटी/रेस्पोडेन्ट्स का प्रश्नगत भूमि पर आवंटन के पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, ना ही उनके द्वारा आवंटन नियमों की पालना की गई। प्रश्नगत आराजी बाबत आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी दर्ज नहीं किया गया। आवंटन के पश्चात प्रश्नगत आराजी सिवायचक ही दर्ज रही। इसके बावजूद तहसीलदार अजमेर के द्वारा बिना वास्तविक कब्जे काश्त की जांच किये अपीलाधीन आराजियात को रेस्पोडेन्ट्स के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश आदेश दिनांक 24.05.2011 को जारी कर दिया। अपीलान्ट्स द्वारा मुख्यतः इन्ही तथ्यों के आधार पर तहसीलदार अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.5.2011 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 से 07 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 08 की ओर से राजकीय अभिभाषक

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित आये। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स के निवेदन पर सर्वप्रथम उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 पर सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 09 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमें हेमराज पुत्र सूरजकरण जाति कहार निवासी नाडी सराधना, अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने कारण अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट् द्वारा राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे प्रकरण से सम्बन्धित विचाराधीन प्रकरण 27/15 को मुन्तकिल किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गय। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 19.5.2017 द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। तत्पश्चात अपील बहस हेतु नियत की जाकर उभय पक्ष की मय प्रार्थना पत्र (आदेश 1 नियम 09 सपठित धारा 151 सीपीसी) अपील बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नदी–सराधना तहसील व जिला–अजमेर स्थित आराजी जिसके पुराने खसरा 535 रकबा 15–00–00 बीघा किस्म बारानी–3 का आवंटन दिनांक 18.6.1963 को सुखा वल्द रामा कहार साकिन नदी–सराधना को किया गया। उक्त आवंटित खसरा नं0 535 के नये नम्बर 728 रकबा 14–01–00 बीघा (काबिल काश्त भूमि) कायम किये गये। आवंटी सुखा पुत्र रामा तथा उनके वारिसान का प्रश्नगत भूमि पर आवंटन के पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, ना ही उनके द्वारा आवंटन नियमों की पालना की गई। प्रश्नगत आराजी बाबत आवंटियों के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी दर्ज नहीं किया गया। आवंटन के पश्चात प्रश्नगत आराजी सिवायचक ही दर्ज रही। इसके बावजूद तहसीलदार अजमेर के द्वारा बिना वास्तविक कब्जे काश्त की जांच किये आदेश दिनांक 24.5.2011 के द्वारा उपरोक्त अपीलाधीन आराजियात को रेस्पोडेन्ट्स के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज करने का जारी कर दिया। जबकि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का कतई पालन नहीं किया। इसके बावजूद आवंटन के 48 वर्ष पश्चात आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। पारित आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से काबिले निरस्तनीय है। जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 में अपीलान्ट के पिता का नाम बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज था। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020–2023, 2030–2033, 2034–2037, 2038–2041 में विवादित आराजियात पर अपीलान्ट्स की काश्त दर्ज है। विवादित आराजियात पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा यह प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील सवंत 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2046 से भी साबित है। वर्तमान में भी उक्त आराजियात पर अपीलान्ट्स का ही कब्जा काश्त है। इसके बावजूद अपीलाधीन भूमि बाबत आवंटन आदेश जारी किये जाने तथा आवंटन आदेश की पालना में तहसीलदार अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 24.05.2011 जारी किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 में आवंटी के द्वारा अपनी वल्दियत भी गलत दर्ज करवाई गई। आवंटी द्वारा अपना नाम सुख्खा पुत्र रामा दर्ज करवाया जबकि आवंटी का नाम सुख्खा पुत्र गुल्ला है। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट्स ने आगे कथन किया कि तहसीलदार अजमेर के आक्षेपित आदेश दिनांक 24.05.2011 की जानकारी अपीलान्ट्स को पूर्व में नहीं थी। आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 को निर्णय दिनांक 13.01.2014 द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें निर्णय दिनांक 11.5.2015 द्वारा आक्षेपित आवंटन आदेश की

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष संधारण होना मानते हुए राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर का आक्षेपित निर्णय निरस्त किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष दौराने बहस यह तथ्य सामने आया कि आवंटन आदेश दिनांक 08.6.1963 के पश्चात तहसीलदार अजमेर द्वारा एक आदेश दिनांक 24.5.2011 को पृथक से जारी किया गया था। इसकी फोटो प्रति को दौराने अपील बहस ही उन्हें उपलब्ध करवाई गई थी। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 11.5.2015 के अनुसरण में यह अपील आदेशानुसार अन्दर मयाद, मय मियाद प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2011 को निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में आर.आर.डी. मई 2007 पेज सं. 340 से 343, आर.आर.डी. अक्टू0 2007 पेज 719 से 723, आर.एल.डब्ल्यू 2001 पेज 376 से 379, के उद्धरण उद्वत करवाये।

जवाब में रेस्पोंडेन्ट्स सं0 01 से 7 के अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम सराधना की वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज सुखा पुत्र रामा को नियत प्रकिया के तहत आदेश दिनांक 8.6.1963 के द्वारा आवंटित की गई थी। जिला कलक्टर अजमेर के आदेशानुसार तहसीलदार अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 24.05.2011 पारित किया गया तथा इसी आदेश की पालना में दिनांक 15.6.2011 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1477 सुरजकरण पुत्र सुखा, सुगन पुत्र सुखा एवं लादी पुत्री सुखा का नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में अकित किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 की अपील राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 13.6.2014 से स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश निरस्त किया गया। उक्त आदेश की अपील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष की गई जो निर्णय दिनांक 11.5.2015 से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.1.2014 निरस्त किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा इस आदेश की विशेष अपील भी प्रस्तुत की जो मण्डल के निर्णय दिनांक 21.8.2015 द्वारा निरस्त की गई है। विवादित भूमि आवंटन दिनांक को सिवाय चक (राजकीय) खाते में दर्ज होकर आवंटन योग्य भूमि थी। आवंटन योग्य भूमि होने पर ही भूमि पूर्ण विधिक प्रकिया के तहत ही सक्षम अथोरिटी द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज को आवंटित की गई थी। प्रश्नगत आराजी बाबत अपीलान्ट्स का किसी भी प्रकार से कोई विधिक हक अधिकार, सरोकार नहीं है। विवादित आराजी आवंटन से पूर्व राजकीय भूमि थी, राजकीय भूमि पर कब्जाधारी अतिकमी कहलाता है। अतिकमी खातेदार नहीं हो सकता। आवंटन आदेश की पालना हेतु नियमानुसार कोई मियाद निर्धारित नहीं है। आंवटन के पश्चात राजस्व रेकार्ड में आवंटित भूमि आवंटी के नाम दर्ज करने का दायित्व राजस्व विभाग/तहसीलदार का था। आवंटी एवं आवंटी के विधिक वारिसान के लगातार प्रयास किये जाने के बाद आवंटन आदेश की पालना में तहसीलदार अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया जो न्याय, नियम एवं विधिक प्रावधानों के तहत है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिन निर्धारित है। किन्तु अपीलान्ट्स द्वारा आदेश दिनांक 24.5.2011 के करीबन 4 वर्ष की लम्बी अवधि गुजरने के बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है जो लम्बी अवधि से मयाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आर.बी.जे. 2007 पेज 438, आरब.बी.जे. 2005 पेज 735, तथा आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 145, 157 आर. आर.टी. 2016 (1) 718, 82 आर.बी.जे. 2011 पेज 296, आर.आर.डी. 2001 पेज 206,

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

126, 437, आर.आर.टी. 2006 (2) पेज. 1171, आर.आर.टी 2007(2) पेज 1181, आर. आर.टी 2005(1) पेज 86, आर.बी.जे. 2000 पेज सं. 457 आर.आर.टी. 2006–07 (sup.) पेज 273 आर.आर.डी. 1993 पेज 800, आर.आर.टी 2011 पेज 383, के उद्धरण उद्धत कराते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट्स की अपील जो कि भारी मयाद बाहर होने तथा हेमराज पुत्र सुरजकरण जाति कहार निवासी नदी सराधना जो कि आवश्यक पक्षकार था, को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवम् उद्धत, उद्धरणों के तहत् अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2011 को यथावत् रखा जावे।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने मुख्यतः कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। लिहाजा अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के कथनो पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथमतः हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण उचित समझते है। इस बाबत रेस्पोडेन्ट्स का कहना है कि अपील भारी मियाद बहार है अतः मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। जबकि प्रार्थी/अपीलान्ट्स का मुख्यतः कथन है कि आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 के विरूद्ध उनके द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 को निर्णय दिनांक 13.01.2014 द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें निर्णय दिनांक 11.5.2015 द्वारा आक्षेपित आवंटन आदेश की अपील जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष संधारण होना मानते हुए राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर का आक्षेपित निर्णय निरस्त किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष दौराने बहस यह तथ्य सामने आया कि आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 के पश्चात तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 24.5.2011 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया। जिसकी फोटो प्रति रेस्पोडेन्ट के द्वारा दौराने बहस ही अपीलान्ट्स को उपलब्ध कराई गई थी। जिससे अपीलान्ट्स को आक्षेपित आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात अपीलान्ट्स द्वारा आदेश दिनांक 11.5.2015 के अनुसरण में यह अपील आदेशानुसार जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। गुणावगुण पर रेकार्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स की अपील तहसीलदार अजमेर के आदेश दिनांक 24.5.2011 के विरूद्ध है। ग्राम नदी सराधना के तत्कालीन खसरा संख्या 535 का रकबा 33–19–00 बीघा था, जिसमें से रकबा 15–00–00 बीघा बारानी 3 भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज सुखा पुत्र रामा कहार को आदेश दिनाक 8.6.1963 द्वारा किया गया था। तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.05.2011 के आधार पर दिनांक 15.6. 2011 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1477 सुरजकरण पुत्र सुखा, सुगन पुत्र सुखा एवं लाडी पुत्री सुखा का नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में अकित किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट्स द्वारा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1963 की अपील, राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 13.1.2014 से स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश निरस्त किया गया। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 7.02.2014 द्वारा वादग्रस्त आराजी पुनः गैर खातेदारी से सिवाय चक दर्ज कर दी गई थी। राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के निर्णय की

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 11.5.2015 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का अपीलाधीन निर्णय क्षैत्राधिकारिता के बिन्दू पर ही निरस्त कर दिया गया। इस आदेश की विशेष अपील भी मण्डल के निर्णय दिनांक 21.8.2015 द्वारा निरस्त की गई। तत्पश्चात तहसीलदार, अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.9.2015 के आधार पर नायब तहसीलदार सराधना द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 144 भूमि पुनः रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज कर दी। किन्तु बाद में जानकारी में आने पर दिनांक 18.11.2015 को नायब तहसीलदार सराधना द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर "भूमि मौके पर विवादित होने एवं राजहित प्रभावित होने से राजकीय हितो को मध्यनजर रखते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 25.9.2015 पर पुनः विचार कर, रिव्यू करते हुए नामान्तरकरण को निरस्त किया जाता है।" का अंकन दर्ज करते हुए दिनांक 18.11.2015 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 144 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। चूकिं विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। लिहाजा आराजी मुतनाजा बाबत मौजूदा अंकनों के तहत अपील, अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner